OFFICE OF THE DIRECTOR

RAJASTHAN POLICE ACADEMY
NEHRU NAGAR, JAIPUR-302016 (RAJASTHAN)
PPHONE NO 0141-2303222, 2302131, 2301878(FAX)
E-mail:director.rpa@rajpolice.gov.in/dirrpa@gmail.com

क्रमांकः– व–15(43)आरपीए/जन/शिशुपालना/2024/1588 दिनांकः–26-03-25

खुली बोली आंमत्रण सूचना

कार्यालय राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा पंजीकृत गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी सहभागिता के माध्यम से संस्था में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शिशु सदन (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने बाबत मोहरबन्द खुली बोलियां दिनांक 05.04.2025 को 01.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।उक्त खुली बोलियां उसी दिन दिनांक 5.04.2025 को दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है।उसका नाम अंकित करे।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाख)	अमानत राशि रू.	निविदा फार्म मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	शिशु पालन गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन **NGO** के माध्यम से किये जाने बाबत।	6.00 लाख	12000/–रू	500.00 रू	05.04.2025 समय सांय 03.00 बजे

निविदा शर्तेः–

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (बैकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 05.04.2025 दोपहर 1.00 बजे को या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर (सहायक निदेशक (प्रशासन) निजी सहायक कक्ष/बिड बॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 05.04.2025 को 03.00 पी.एम. पर खोली जावेगी।
3. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिर्टन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जो निविदाऐं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
6. समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही होगा।
8. राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट www.rpa.rajasthan.gov.in ।पर से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
   सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
2. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा ¼www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
4. प्रभारी सीडीपीएसएम/स्टेशनरी/कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

।। कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।

तकनीकी निविदा/बोली प्रपत्र

1. उपापन संस्था का विवरणः– निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।
2. कार्य का विवरणः– शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने बाबत्।
3. बोली का सन्दर्भः– बोली सूचना क्रमांक
4. बोली खोलने की तिथि व समयः– दिनांक 05.04.2025 समय सांय 03.00 बजे
5. मोहर बन्द बोली उपापन संस्था को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समयः– दिनांक 05.04.2025 दोपहर 01.00 बजे।
6. बोली दाता का विवरणः–
   (1) रजिस्टर सेवा प्रदाता NGO का नामः–
   (2) संस्था NGO का प्रकार (फर्म/कम्पनी/अन्य):–
   (3) पूर्ण पताः–
   (4) टेलिफोन नंबरः– (5)मोबाईल नं.:– (6)ई–मेल पताः–
7. संस्था का पैन नं./GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र/पंजीयन प्रमाण–पत्र (छाया प्रति संलग्न करे) अनुभव प्रमाण–पत्र/दस्तावेज निविदा की पृष्ठ संख्या अंकित आवश्यक है। :–

- **निर्धारित निविदा शुल्क बोली प्रतिभूति निदेशक राज0 पुलिस अकादमी जयपुर के नाम देय होगी।**

8 .निवादा शुल्क की राशि 500/–डी.डी. संख्या.........................दिनांक.................से जमा करा दी गई है।

9. बिड सिक्यूरिटी राशि 12000/–डी.डी.संख्या...........दिनांक...........से जमा करा दी गई है।

10. बोली में दी गई दरों की वैद्यता की अवधिः– 90 दिवस

11. कार्यालय निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक..1588 दिनांक26/3.2025 के क्रम में प्रकाशित की गई शर्ते जो बोली पत्र के साथ संलग्न है, उनसे मै/हम पूर्णतया सहमत है। हमारी स्वीकृति बतौर अपने हस्ताक्षर मय मोहर सभी पृष्ठो पर कर दिये गये है।

12. **तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्ते :–**
   1. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति ।
   2. तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित परिशिष्टA,B,C,D,E,F,G व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिये।
   3. शहरी क्षेत्र में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विभागों में वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 में किन्हीं 2 वर्षो में शिशु सदन का प्रभावशील तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
   4. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
   5. संस्था के राजस्थान सोसायटी एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजिकृत होने के प्रमाण की प्रति ।
   6. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
   7. कम्पनी के मामलें में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।
   8. GST देय होने की स्थिति में GST का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है एवं GST पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं GST Return फरवरी 2025 की प्रति सलंग्न की जानी होगी।

13. <u>सफल निविदा का चयन</u>

1. प्राप्त निविदाओं में से तकनीकी निविदा की अनिवार्य एवं आवश्यक शर्तो के अनुसार सफल निविदाओं का चयन उनकी तकनीकी अर्हता के आधार पर किया जावेगा। तकनीकी रूप से सफल निविदाओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. प्रत्येक निविदा को कुल 100 अंकों में से अंक प्रदान किये जाएंगे। जो अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे सफल निविदा घोषित किया जायेगा।

तकनीकी निविदा के अंक निम्नानुसार होंगे। कुल अंको में से न्युनतम 60 अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा:–

क्र. सं.	आवश्यक प्रपत्र	विवरण	अधिकतम अंक
	संस्था का विवरण:– संस्था का नाम पता मय पिन कोड, ई–मेल आईडी मोबाइल / फोन नम्बर आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर	____________________ ____________________ ____________________ ____________________	
1.	राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अन्तर्गत मान्यता / प्रमाणन संस्था का संघ विधान पत्र मय हस्ताक्षरित जिसमें संस्था का उददेश्य, पदाधिकारियों का विवरण, कार्यकारिणी समिति का विवरण आदि दर्शाये गये हो।		20
2.	अन्तिम तीन कर निर्धारण वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, की अंकेक्षित आयकर विवरणिका संलग्न करे। 1. 2 वर्षो से अधिक की संलग्न करने पर 20 अंक 2. 1 से 2 वर्षो की संलग्न करने पर 10 अंक		20
3.	आपकी संस्था द्वारा वर्तमान में कितने डे केयर केन्द्र / केच का प्रबंधन किया जा रहा है प्रत्येक का विवरण दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। 1. 5 या अधिक होने पर 25 अंक 2. 3–4 होने पर 10 अंक		25

	3. 1–2 होने पर 5 अंक		
4.	आपकी संस्था द्वारा कितने वर्षो से डे केयर केन्द्र/क्रेच का प्रबंधन किया जा रहा है प्रत्येक का विवरण दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। 1. 5 या अधिक वर्ष होने पर 25 अंक 2. 3–4 वर्ष होने पर 10 अंक 3. 2 वर्ष होने पर 5 अंक		25
5.	वर्तमान में संस्था द्वारा डे–केयर सेन्टर/शिशु पालना गृह में सेवा प्रदान की जाने वाली प्रबन्धक का विवरण योग्यता। 1. प्रबंधक स्नातक होने पर 10 अंक 2. प्रबंधक 12th होने पर 5 अंक (न्युनतम 12th पास होना अनिवार्य)		10

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

14 **तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा में दो या अधिक बोलीदाताओं की दरे समान पाये जाने पर तकनीकी निविदा में अधिक अंक प्राप्त करने वाली निविदा को स्वीकार किया जाएगा।**

15. संस्था द्वारा शिशु सदन का प्रभावशील तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किया जावेगा ।

16. शिशु सदन संचालन के लिये संस्था द्वारा स्वयं का स्टाफ यथा–प्रबंधक, सेविका आदि नियुक्त किये जावेंगें, जिनके मानदेय का भुगतान संस्था द्वारा उनके बैक खाते में किया जावेगा।

17. संस्था द्वारा नियुक्त स्टाफ एवं राज्य सरकार के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध नहीं होगा ।

18. संस्था द्वारा राज्य सरकार की सहमति बिना शिशु सदन को या इसके किसी भाग को संचालन हेतु उप ठेके पर नहीं दिया जा सकेगा।

19. राज्य सरकार द्वारा संस्था को मूलभूत सुविधाओं युक्त भवन शिशु सदन हेतु उपलब्ध कराया जावेगा। शिशु सदन भवन में पानी, बिजली व ई.पी.बी.ए.एक्स. टेलिफोन राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायें जायेंगे। शिशु सदन में उपयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा एक एल.पी.जी. गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जावेगा, जिसे संस्था द्वारा स्वयं के खर्चे पर रिफलिंग करवाई जावेगी।

20. संस्था द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को शिशु सदन में प्राथमिकता के आधार प्रवेश दिया जावेगा। स्थान उपलब्ध होने पर संस्था द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर से बाहर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दे सकेगी। इसके पश्चात भी स्थान उपलब्ध रहने पर संस्था द्वारा गैर सरकारी व्यक्तियों के बच्चों को भी शिशु सदन में प्रवेश दिया जा सकेगा।

21. शिशु गृह में बच्चो की देखभाल (डेकेयर) कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकोल एवं समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा निर्देशों की पालना संस्था द्वारा की जानी आवश्यक होगी।

22. शिशु पालना गृह में तमाम सुरक्षा उपाय एवं सावधानियों के बावजूद दुघर्टना नही होने की कोई निश्चितंता नही है, ऐसी स्थिति में बच्चों के माता–पिता को इसके जोखिम की जानकारी उपलब्ध करवाते हुऐ बच्चो को रखने के लिए उनके माता–पिता की लिखित सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जावेगी।

23. शिशु पालना गृह के संचालन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं गाईडलाईन की पालना की जानी आवश्यक होगी।

24. राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर परिसर स्थित शिशु पालना गृह में नामांकित/प्रवेशित बच्चों की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रबंधक की होगी।

25. शिशु सदन में उपलब्ध स्थान के अनुसार ही बच्चो की सुविधा को ध्यान मे रखते हुये ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

26. शिशु सदन का संचालन समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 6.30 बजे तक रहेगा।

27. शिशु सदन के कार्य दिवस समस्त राजकीय कार्य दिवस होगें। राजकीय कार्य दिवसों के अतिरिक्त दिवसों को शिशु सदन को खोले जाने के संबंध में निर्णय संस्था के विवेक पर निर्भर करेगा।

28. शिशु सदन में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

29. संस्था द्वारा नामांकित बच्चों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री यथा–दूध, दलिया, खिचडी, चावल, फल सेरेलक, कॉर्नफ्लेक्स आदि उच्च गुणवत्ता (FSSAI द्वारा प्रमाणित) के होना आवश्यक है। भुगतान के समय सामग्री का बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

30. संस्था को शिशु सदन परिसर में प्राथमिक उपचार हेतु किट रखना होगा।

31. शिशु पालना गृह के सम्पूर्ण परिसर की साफ–सफाई की जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी। शिशु पालना गृह में बच्चों की स्वास्थय की दृष्टि से hygenic वातावरण रखना होगा।

32. संस्था को बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नियमित परीक्षण (Height/Weight) भी करवाया जावेगा।

33. संस्था को पंजीकृत बच्चों की न्यूनतम संख्या 9 से कम होने पर भी एक प्रबंधक एवं 3 सेविकाओं को नियुक्त करना होगा। संस्था को शिशु सदन संचालन के लिये 3 बच्चों पर एक सेविका रखनी होगी। संस्था द्वारा 9 बच्चों से अधिक संख्या होने पर 3 के गुणांक की संख्या (12 बच्चों पर) पूर्ण होने पर अतिरिक्त सेविका रखनी होगी अन्यथा प्रति सेविका प्रतिदिन राशि रूपये 100/– की शास्ति के हिसाब से प्रतिमाह होने वाले भुगतान में से काट लिये जावेगें।

34. सफल निविदादाता को प्रबंधक एवं सेविकाओ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर सत्यापित प्रति संलग्न की जानी होगी।

35. यदि **संस्था द्वारा शिशुगृह का सन्तोषजनक संचालन नियमित रूप से किया जाता है तो** संस्था को प्राथमिक संबल प्रदान किये जाने हेतु अनुबंध अवधि में एक प्रबंधक एवं 3 सेविकाओं के मानदेय के समान अधिकतम एक मुश्त राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह किया जावेगा जिससे कि पंजीकृत बच्चों की संख्या न्यूनतम से कम रहने पर भी शिशु सदन का संचालन नियमित रूप से किया जा सके। सेविकाओं की संख्या इससे अधिक होने पर संस्था को मानदेय स्वयं के स्तर पर ही देना होगा। अनुबंध अवधि में शिशुगृह का सन्तोषजनक संचालन किये जाने पर विभाग द्वारा एक प्रबंधक एवं 3 सेविकाओं को अधिकतम मानदेय निम्नानुसार देय होगाः–

क्र.सं.	कार्मिक का विवरण	संख्या	न्यूनतम मानदेय प्रतिमाह प्रति	मासिक मानदेय	वार्षिक मानदेय
1	प्रबंधक	01	15,000/–	15,000/–	1,80,000.00
2	सेविका	03	8,500/–	25,500/–	3,06,000.00

36. मासिक आर्वतक व्ययः– खाध सामग्री, रखरखाव, सफाई आदि में प्रयुक्त सामान के व्यय का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जावेगा जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/– रूपये प्रतिमाह होगी। पुनर्भरण के लिऐ संस्था को प्रयुक्त सामग्री के बिलों की दो प्रतियॉ मूल बिल सहित आय व्ययक विवरण के साथ सत्यापित कर प्रस्तुत करनी होगी।

37. संस्था को शिशु सदन में नामांकित बच्चों का पूर्ण ब्यौरा रखना होगा। संस्था द्वारा अभिभावकों से ली जाने वाली फीस एवं खर्चे का पूर्ण ब्यौरा रखना होगा, जिसकी सूचना प्रतिमाह 10 तारीख से पूर्व राज्य सरकार को भी उपलब्ध कराये जाने पर ही मानदेय का भुगतान संस्था को किया जा सकेगा।

38. शिशु सदन का संचालन राज्य सरकार एवं चयनित गैर सरकारी संगठन द्वारा वित्तीय सहभागिता के आधार पर किया जावेगा। संचालन हेतु सरकार से निर्धारित आर्थिक सहायता की राशि देय होगी।

39. संस्था द्वारा उक्त एक मुश्त राशि के राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को रियायती फीस पर नामांकित करते हुए निम्न राशि से अधिक राशि फीस के रूप में नहीं ली जा सकेगीः–

क्र. सं.	बच्चों का विवरण	मासिक फीस की दर (पूर्ण दिवस हेतु)	मासिक फीस की दर (आधे दिवस हेतु)
1.	राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिये	3000/–प्रति माह	2000/–प्रति माह
2.	गैर सरकारी व्यक्तियों के बच्चों के लिये	5000/–प्रति माह	4000/–प्रति माह
3.	एक दिन के लिये	250/–प्रति दिन	...
4.	एक घंटे के लिये	100/–प्रति घंटा	

40. उपरोक्तानुसार फीस अभिभावकों द्वारा प्रतिमाह अग्रिम रूप से संस्था को जमा कराई जावेगी जिसकी संस्था द्वारा रसीद दी जावेगी।

41. शिशु पालन गृह के प्रचार–प्रसार के लिये राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन नहीं किया जावेगा। फिर भी संस्था यदि शिशु सदन का प्रचार–प्रसार करना चाहती है, तो वह स्वयं के खर्चे पर कर सकती है।

42. राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये उपकरणों/फर्नीचर के अतिरिक्त यदि संस्था स्वयं के खर्चे पर अन्य उपकरण/फर्नीचर आदि लगाना चाहती है तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु इस प्रकार स्थापित किये जाने वाले उपकरणों/फर्नीचर की सूची 7 दिवस में संस्था द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जावेगी।

43. संस्था द्वारा स्थापित उपकरणों/फर्नीचर का रख–रखाव संस्था को स्वयं के खर्चे पर कराना होगा एवं विभाग द्वारा लगाये गये उपकरणो का रख रखाव विभाग द्वारा किया जावेंगा।

43. अनुबंध समाप्ति पर संस्था को स्वयं द्वारा स्थापित उपकरण/फर्नीचर को ले जाने की अनुमति होगी।

44. कार्यादेश की दिनांक से 07 दिवस में संस्था द्वारा शिशु सदन का रख–रखाव स्वयं के खर्चे पर किया जावेगा। शिशु सदन के संचालन प्रारंभ किये जाने की दिनांक से राज्य सरकार द्वारा देय आर्थिक सहायता देय होगी।

45. संस्था द्वारा शिशु सदन में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जावेगी जो कि राज्य सरकार के नियमों/अधिनियमों के अधीन अनैतिक एवं अवांछनीय हो। यदि ऐसा पाया जाता है, जो 15 दिवस को नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करते हुए कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी तथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जावेगी।

46 शिशु सदन के संचालन के दौरान किसी प्रकार की चोरी, गबन, हानि, व्यक्तिगत दुर्घटना आदि की जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

47 बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना संस्था का दायित्व होगा।

48 संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की जोखिम/विपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिये स्वयं के खर्चे पर बीमा करवाया जावेगा।

49 संस्था द्वारा नियमानुसार निविदा राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा करानी होगी जिसे अनुबंध समाप्ती पर नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा वापिस लौटा दिया जावेगा। अनवेलेन्स बिड के मामलें में नियम 75–A के अनुसार अतिरक्ति कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

50 राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर शिशु सदन का औचक निरीक्षण किया जा सकेगा।

51 चूँकि यह कार्य सहभागिता के आधार पर किया जावेगा। अतः शिशु सदन के संचालन को सुगम बनाने के लिये निर्धारित शर्तों को आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकेगा।

52 राज्य सरकार एवं संस्था के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर दोनों पक्ष आपसी सहमति से समस्या का समाधान करेगें। यदि आपसी सहमति से कोई समाधान नहीं निकलता है, तो न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

54. **बोली दस्तावेजों में परिवर्तन :–** बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरूप, धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

55. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधारः–** बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थातः–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य मे सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रहती है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा,

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी हैं, तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा, और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

56. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर शिशु पालना गृह के संबंध में जारी दिशा–निर्देश एवं परिपत्र इस निविदा पर लागु होगें एवं उनकी पालना किये जाने हेतु चयनित संस्था बाध्य होगी।

57. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता निमय 2013 के नियम 76 के अनुसार निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर राशि रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर करार–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. ....
4. मेल आईडी..

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is [illegible]

The designation and address of the Second Appellate Authority is [illegible]

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

एनेक्सर–ई

शिशु सदन संचालन हेतु प्रस्तावित मानव संसाधन का विवरण

क.स.	पद का नाम	पद संख्या
1.	प्रबंधक (Manager)	एक
2.	सेविका (Maid servant)	कम से कम 3 सेविकाऐ लगानी होगी। संस्था को पंजीकृत बच्चों की न्यूनतम संख्या 9 से कम होने पर भी 3 सेविकाओं को नियुक्त करना होगा। संस्था को शिशु सदन संचालन के लिये 3 बच्चों पर एक सेविका रखनी होगी। संस्था द्वारा 9 बच्चों से अधिक संख्या होने पर 3 के गुणांक की संख्या (12 बच्चों) पूर्ण होने पर अतिरिक्त सेविका रखनी होगी। जिसके लिऐ न्युनतम 7 सेविकाओं का विवरण संलग्न करें।

नोटः–

1. संस्था द्वारा नियुक्त कार्मिकों का विस्तृत विवरण एवं चरित्र सत्यापन का ब्यौरा संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नं. (दुकान) (घर)

4. ई–मेल आई.डी. ....

जयपुर,
दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी :–निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
4. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियॉ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लधुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक में दिखाना चाहिए।
5. विधिमान्यता–निविदाये, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। आपवादिक परिस्थितियों में आपसी सहमति से इस अवधि को बढाया जा सकेगा।
6. संस्था अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

6\. **निरीक्षणः**–शिशु सदन का सहायक निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर इनके नोडल अधिकारी होगें। शिशु पालना गृह के पर्यवेक्षण हेतु गठित प्रबंध समिति के सदस्यो द्वारा समय–समय पर शिशु सदन का निरीक्षण कर रिपोर्ट उप शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग को प्रस्तुत की जावेगी। इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा शिशु सदन का औचक निरीक्षण किया जा सकेगा।

8. **बोली प्रतिभूति:–** 1. बोली प्रतिभूति दस हजार रूपये तक के मूल्य वाले छोटे उपापन और धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सिमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध मौके पर क्रय एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत की पद्वतियों द्वारा उपापन के मामले में नहीं ली जायेगी।

2. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूती बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा मे यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्र का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्यौगिक एवं वित्त पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से यदि छूटप्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

3. बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों स्वायत निकायों रजिस्ट्रीकृत सोसाटियों सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

4. बोली प्रतिभूति लिखित या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

5. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतिक्षित विनिश्चय के संबंधरखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

6. बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी, ई बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर. ए.एस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति की मूल बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

7. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

8. यह अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

9. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी, ई बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को स्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या यथास्थिति पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

10. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

11. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपन्तरित करता है:

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंम करने में असफल रहता है:

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

12. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

13. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी अर्थात

(क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर

(ख) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर

(ग) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

(घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

9. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति.**–(1) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्म्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध मे हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामल में प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मो के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की 10 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लम्बित है के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का 2 प्रतिशत होगी।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–

(क) "ई. जी. ए. एस. के माध्यम से जमा

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंक चैक

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समयवे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्ते बोली प्रतिभूति के लिए नियम–42 में वर्णित के समान होंगी।

(ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करके के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की और से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्ण संदाय करने का वचन देता है कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(4) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ङ) के प्ररूप विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पुरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

10. **करार का निष्पादन.–** (1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने मे विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मालों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधि लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

11. कार्य संपादन राशि का समपहरणः–प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होग

निविदादाता के हस्ताक्षर

12. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

13. भुगतान :– विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में,राशि का 10 से 25% तक रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

14. केता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा

15. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ती करेगा। ये अधिकारी इस संविदा से सबद्व नही होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

16. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

17. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान तथा बाल संरक्षण अधिनियम–1986 के प्रावधान लागू होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोटः– अलग से लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे

वित्तीय निविदा (केवल दरे अंकित की जावे)

शिशु सदन संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए अपेक्षित मानेदय राशि रूपये.................... (केवल मानदेय राशि का ही अंकन करें, मासिक अवर्तक व्यय की पुर्नभरण राशि का अंकन नही करे।)

नोटः–

1. न्यूनतम दर दाता का निर्धारण निविदा में प्राप्त न्यूनतम मानदेय राशि के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जावेगा।
2. शिशु सदन संचालन हेतु संस्था को पंजीकृत बच्चों की न्यूनतम संख्या 9 से कम होने पर भी कम सेकम एक प्रबंधक एवं 3 सेविकाएं रखनी होगी। संस्था को शिशु सदन संचालन के लिये 3 बच्चों पर एक सेविका रखनी होगी। संस्था द्वारा 9 बच्चों से अधिक संख्या होने पर 3 के गुणांक की संख्या (12 बच्चों पर) पूर्ण होने पर अतिरिक्त सेविका रखनी होगी

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नं..(मो.)...

जयपुर,
दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली आंमत्रण प्रपत्र

1. उपापन संस्था का विवरण:– निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
2. कार्य का विवरण:– शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रंबधन, अनुरक्षरण एवं संचालन किये जाने बाबत्।
3. बोली का सन्दर्भ:-– बोली सूचना क्रमांक
4. बोली खोलने की तिथि व समय:– दिनांक ....03.2025 समय दोपहर 12.30 बजे
5. मोहरबन्द बोली उपापन संस्था को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय:– दिनांक ......03.2025 समय प्रातः 11.00 बजे तक
6. बोली दाता का विवरण:–
   (1) रजिस्टर सेवा प्रदत्ता NGO संस्था का नाम:–
   (2) संस्था NGO का प्रकार (फर्म / कम्पनी / अन्य) :–
   (3) पूर्ण पता:–
   (4) टेलिफोन / मोबाईल नंबर :–
7. संस्था NGO का पैन नं. / सेवाकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (छाया प्रति संलग्न करें):–
8. बोली शुल्क की राशि 500 / –डी.डी. संख्या ....दिनांक.................से जमा करा दी गई है।
9. बिड सिक्यूरिटी राशि 12000 / –डी.डी.संख्या..............................दिनांक................ से जमा करा दी गई है।
10. बोली में दी गई दरों की वैद्यता की अवधि:– 90 दिवस
11. कार्यालय निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक...........दिनांक.................के क्रम में प्रकाशित की गई शर्ते जो बोली पत्र के साथ संलग्न है, उनसे मै / हम पूर्णतया सहमत है। हमारी स्वीकृति बतौर अपने हस्ताक्षर मय मोहर सभी पृष्ठो पर कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)
दूरभाष नं.